महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय

विनियम

विनियमों की सूची

विनियम संख्या एक : प्रबंधन बोर्ड की सभाओं के संचालन की प्रक्रिया

विनियम संख्या दो : विद्या परिषद की सभाओं के संचालन की प्रक्रिया.

विनियम संख्या तीन : समतुल्यता की समिति

विनियम संख्या चार : विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर

विनियम संख्या 1
प्रबंधन बोर्ड की सभाओं के संचालन की प्रक्रिया

1. प्रबंधन बोर्ड की सभायें सामान्यतया तीन माहों में एक बार उथवा ऐसे समय पर जैसा कुलपति निर्देशित करें, होंगी ।

2. प्रबंधन बोर्ड की सभाओं की अध्यक्षता कुलपति करेंगे । कुलपति की अनुपस्थिति में उसके द्वारा नियुक्त प्रति कुलपति किसी सभा की अध्यक्षता करेंगे ।

3. रजिस्ट्रार लिखित में सभाओं की सूचना जारी करने कार्यवाहियों का लेखा लिखने तथा अन्य प्रावधित कर्त्तव्यों का पालन करने का कार्य करेंगे ।

4. (अ) सभायें कुपलति के निर्देश के अंतर्गत आहूत की जायेंगी ।

   (ब) कुलपति किसी भी समय प्रबंधन बोर्ड की सभाएं बुला सकते है ।

5. इस विनियम के पैराग्राफ 4(ब) के अंतर्गत कुलपति के द्वारा आहूत सभा के मामले को छोड़कर सभा के समय तथा स्थान को कम से कम सात दिनो की सूचना सदस्यों को दी जायेगी ।

6. प्रबंधन बोर्ड का कोई सदस्य प्रबंधन बोर्ड का सुझाव अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है । ऐसे सुझाव अथवा प्रस्ताव को रजिस्ट्रार द्वारा एक पत्र के रूप में भेजा जायेगा तथा वह प्रबंधन बोर्ड द्वारा संभव शीघ्रतम तिथि को विचारित होगा ।

7. सदस्य द्वारा प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने को इच्छित प्रस्तावों को इस प्रकार भेजा जायेगा कि सभा के कम से कम दस दिन पूर्व वह रजिस्ट्रार को प्राप्त हो जाय ।

8. इस विनियम के पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ (बी) के अंतर्गत कुलपति द्वारा आहूत आपातकालीन सभा के मामले को छोड़कर, एजेण्डा के प्रत्येक बिंदु पर संक्षिप्त टीप के साथ साथ एजेण्डा को सभा की तिथि के सामान्यतया सात दिन पूर्व प्रसारित किया जायेगा ।

9. किसी सभा में, एर्जेडा में उल्लिखित क्रियाकलापों के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलाप नहीं किये जायेंगे । तथापि सभाध्यक्ष एर्जेडा में उल्लिखित नहीं होने पर भी किसी क्रियाकलाप को प्रस्तुत अथवा अनुमोदित कर सकता है ।

10. अपूर्ण क्रियाकलापों को पूर्ण करने हेतु एक सभा को दूसरे दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है । अनुपस्थित सदस्यों को ऐसे स्थगन की सूचना भेजने की आवश्यकता नहीं होगी । किसी स्थगित सभा में कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगा ।

11. जब तक कि अन्यथा प्रावधित नहीं हो, प्रबंधन बोर्ड के सभी कार्य तथा उनके समक्ष उपस्थित होने वाले सभी प्रश्न, सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा सम्पन्न तथा निर्णीत किये जायेंगे ।

12. कुलपति को एक मत का अधिकार होगा तथा मतों की समानता के मामले में,उसे निर्णायक मत का अधिकार प्राप्त होगा ।

13. प्रत्येक सभा की कार्यवाहियों का लेख कुलसचिव द्वारा लिखा तथा कुलपति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा । प्रबंधन बोर्ड की सभा की कार्यवाहियों से संबंधित लेख को सभा के उपरान्त संभाव्य शीघ्रतम अवधि में संचारित किया जायेगा ।

14. किसी मानद उपाधि के विभूषण के सभी प्रस्ताव मतदान हेतु (1) बिना चर्चा तथा (2) मतपत्र द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे ।

विनियम संख्या 2
विद्या परिषद की सभा के संचालन की प्रक्रिया

1. विद्या परिषद की बैठकें सामान्यतया तीन माहों में एक बार अथवा ऐसे समय जिसे कुलपति निर्देशित करें सम्पन्न की जायेंगी ।

2. कुलपति विद्वत् परिषद की सभाओं की अध्यक्षता करेंगे । किसी सभा में कुलपति की अनुपस्थिति की दशा में कुलपति द्वारा तदर्थ नामांकित प्रति कुलपति सभा की अध्यक्षता करेंगे ।

3. रजिस्ट्रार सभाओं की सूचनाऐं निर्गत करने, कार्यवाहियों के लेख लिखने तथा अन्य प्रावधित दायित्वों के निर्वाह करने का कार्य करेंगे ।

4. (अ) सभायें कुलपति के निर्देश के अंतर्गत आहूत की जायेंगी ।

(ब) विद्या परिषद के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मॉग पर कुलपति द्वारा एक विशेष बैठक बुलायी जायेगी । ऐसी मांग में विचारण हेतु कार्यो का स्पष्ट उल्लेख होगा ।

(स) कुलपति किसी भी समय एक आपातकालीन सभा बुला सकते है पर एजेंडा में उल्लिखित कार्यसूची के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट कार्य को सभा में, सम्पन्न नहीं कराया जायेगा ।
तथापि, सभाध्यक्ष एजेंडा में उल्लिखित नहीं होने पर भी किसी प्रकरण को विचारण हेतु प्रस्तुत अथवा अनुमोदित कर सकते है ।

5. इस विनियम के पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ सी के अंतर्गत कुलपति द्वारा आहूत सभा के विषय के अतिरिक्त, सदस्यों को सभा के समय तथा स्थान की सूचना कम से कम सात दिन पूर्व दी जायेगी ।

6. विद्या परिषद का कोई सदस्य विद्वत् परिषद को सुझाव अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है । ऐसा सुझाव अथवा प्रस्ताव पत्र के रूप में रजिस्ट्रार द्वारा भेजा जावेगा - तथा परिषद द्वारा संभावित शीघ्रतम तिथि को विचारित होगा ।

7. किसी सदस्य द्वारा विद्या परिषद के समक्ष प्रस्तुति हेतु अपेक्षित प्रस्ताव इस प्रकार भेजे जायेंगे कि वे सभा के तीन दिन पूर्व रजिस्ट्रार को प्राप्त हो जायें ।

8. (1) विद्या परिषद के एक तिहाई सदस्य कोरम का निर्माण करेंगे

(2) एक स्थगित सभा अथवा आपातकालीन सभा में किसी कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।

9. विनियम के पैराग्राफ 4 के उप पैराग्राफ सी के अंतर्गत कुलपति द्वारा आहूत आपातकालीन बैठक के प्रकरण को छोड़कर, एजेंडा के प्रत्येक बिन्दु पर संक्षिप्त टीप के साथ साथ एजेंडा को सभा क सामान्यतया सात दिन पूर्व वितरित किया जायेगा । विद्वत् परिषद के सदस्य एजेंडा के बिन्दुओं पर अधिक सूचना की मॉग कर सकते हैं सभा की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व कुलसचिव को इसकी सूचना देनी होगी ।

10. किसी सभा में एजेंडा में उल्लिखित क्रियाकलाप के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलाप का सम्पादन नहीं होगा । तथापि एजेंडा में उल्लिखित नहीं होने पर भी किसी प्रकरण को सभाध्यक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत कर सकता है ।

11. किसी सभा को अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु दूसरे दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है । अनुपस्थित सदस्यों को ऐसे स्थगन की सूचना भेजना आवश्यक नहीं है ।

12. भिन्न रूप में प्रावधित होने के अतिरिक्त, विद्वत परिषद के सभी कार्य तथा उनके समक्ष आने अथवा उपस्थित होने वाले सभी प्रश्न, सभा में उपस्थित तथा मतदान का प्रयोग कर रहे सदस्यों के बहुमत द्वारा सम्पन्न तथा निर्णीत किये जायेंगे ।

13. सभाध्यक्ष को एक मत का अधिकार होगा तथा मतों की समानता की स्थिति में एक निर्णायक मत का भी अधिकार प्राप्त होगा ।

14. प्रत्येक सभा की कार्यवाहियों के लेख रजिस्ट्रार द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा सभाध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किये जायेंगे । विद्या परिषद की किसी सभा के क्रियाकलापों को, सभा के पश्चात् शीघ्रतम अवधि में, सदस्यों के मध्य प्रसारित किया जायेगा । सदस्यों से टिप्पणियों को, यदि कोई हों, इस प्रकार आमंत्रित किया जायेगा कि वे दूसरी सभा के पूर्व कार्यालय को प्राप्त हो जायें ।

विनियम संख्या 3

समतुल्यता की समिति

1. विद्या परिषद द्वारा निम्नानुसार समतुल्यता की समिति गठित की जायेगी :
   (1) कुलपति - सभाध्यक्ष
   (2) प्रति कुलपति
   (3) संस्थाओं / संकायों / परिसरों के दो प्रमुख
   (4) विद्या परिषद द्वारा मनोनीत पॉच सदस्य
   (5) रजिस्ट्रार - सचिव

2. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा ।

3. समतुल्यता समिति के निम्नलिखित अधिकार एवम् कर्त्तव्य होंगे :-
   (1) विद्या परिषद को भारत तथा विदेश के अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित ऐसी परीक्षाओं के जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं के समतुल्य माना जाना चहिए नाम की संस्तुति करना ।
   (2) विश्वविद्यालय के अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्हतादायी परीक्षाओं की मान्यता की विद्या परिषद को संस्तुत करना ।
   (3) अन्य विश्वविद्यालयों के डिग्री तथा डिप्लोमा की मान्यता के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करना तथा इस संबंध में विद्या परिषद को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।
   (4) इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं की अन्य विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता का प्रबंधन करना । जब भी इस प्रकार की मान्यता अस्वीकृत की जाती है, समिति उनके प्रतिवेदन तथा अनुशंसाओं को विद्या परिषद को प्रस्तुत करेगी ।
   (5) भारत तथा विदेश के अन्य विश्वविद्यालयों से विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों की तुलना करना तथा संबंधित पाठ्यक्रमों की समिति को निर्देश हेतु आवश्यक होने पर विद्या परिषद को अनुशंसायें करना ।

विनियम संख्या 4

विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर

1. विजिटिंग प्रोफेसर को अपने विषय का गणमान्य विद्वान होना चाहिए ।
2. सम्बन्धित प्राध्ययन केन्द्र के संकायाध्यक्ष तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय-अध्यापन विभाग के विभागाध्यक्ष के परामर्श से, कुलपति द्वारा विजिटिंग प्रोफेसरों का चयन किया जायेगा ।
3. विजिटिंग प्रोफेसर को कुलपति द्वारा निर्णीत मानदेय दिया जायेगा ।
4. विजिटिंग प्रोफेसर को विश्वविद्यालय अतिथि गृह में निःशुल्क आवास प्रदान किया जायेगा ।
5. उसे रेल्वे अथवा वायुयान यात्रा भाड़ा के रूप में यात्रा व्यय तथा विश्वविद्यालय के यात्रा भत्ता नियमों के अंतर्गत, उस पर लागू होने वाले अन्य भार प्रदान किया जायेगा ।
6. उसे यात्रा व्ययों के साथ साथ चिकित्सकीय खर्चों के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निवास की अवधि हेतु पचास रूपये प्रतिदिन की दर से पॉकेट खर्च भी प्रदान किया जायेगा ।
7. विजिटिंग प्रोफेसर द्वारा किये जाने वाले कार्यकलापों के विषय में संबंधित विभाग उससे चर्चा करेगा कि वह किस प्रकार का कार्य सम्पन्न करेंगे ।।
8. सामान्यतया विजिटिंग प्रोफेसर के रूकने का समय तीन माह का होगा पर किसी भी स्थिति में यह एक वर्ष से अधिक नहीं होगा ।